

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 2354 / FP/UK/Others/15458/2021 देहरादून: दिनांक: 05 अप्रैल, 2022

सेवा में,

सचिव,

वन अनुभाग-3,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-चम्पावत उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा शारदा नदी 384.69 हे० में उप खनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर को 10 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, शारदा, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 384.69 हे० वन भूमि का 10 वर्षों की लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) एवं वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(बी०पी० गुप्ता)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2354 / FP/UK/Others/15458/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन महानिरीक्षक (एफ०सी०), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली- पिन- 110003 को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक/कुमाऊँ नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय-समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
5. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6. जिलाधिकारी, जनपद-चम्पावत।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
8. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, शारदा, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर।

(बी०पी० गुप्ता)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।
-----	---	---

तिथि :

स्थान : देहरादून


हस्ताक्षर :
नाम और पदनाम
अपर प्रमुख वन संरक्षक
सरकारी मीडर
एव नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।